सराहनीय कार्य पेपर कटिंग परिक्षेत्र बरेली दिनांक 20.05.2026

जनपद बरेली

अमर उजाला पेज नं-04

झारखंड से लाई जा रही अफीम के साथ दो पकड़े

बरेली। कैंट पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त टीम ने 2.120 किलो अफीम के साथ तस्करी के दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

कैंट थाना प्रभारी संजय धीर ने बताया कि सोमवार रात संयुक्त टीम ने उमरसिया मोड़ के पास स्थित श्यामलाल के मकान से झारखंड के चतरा जिले के राजू कुमार डांगी और बरेली कैंट निवासी महेश पाल को पकड़ा।

पुलिस ने उनके पास से अफीम के साथ-साथ अफीम बनाने में इस्तेमाल होने वाली कुटकी, चपड़ा चाप, गोंद, काला रंग, तेल, चीनी और पिघला हुआ गोंद भी बरामद हुआ है।

इसके अलावा दो डिजिटल तराजू, एक गैस सिलिंडर, भट्टी, लोहे की कड़ाही, पलटा, पैकिंग सामग्री, सील करने वाली मशीन और दो स्मार्टफोन भी जब्त किए गए हैं। कैंट थाने में दोनों अभियुक्तों के खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया। कोर्ट ने मंगलवार को दोनों को जेल भेज दिया है।

महेश पाल पर पहले से दर्ज हैं दो मामले : इंस्पेक्टर ने बताया कि महेश पाल के खिलाफ कैंट थाने में पहले से दो मुकदमे दर्ज हैं। पहला मुकदमा वर्ष 2023 में एनडीपीएस अधिनियम के तहत और दूसरा वर्ष 2024 में दर्ज किया गया था। ब्यूरो

ऐसे खुला नेटवर्क

पूछताछ के दौरान राजू कुमार डांगी ने बताया कि वह झारखंड का निवासी है और रांची से अफीम लाकर बरेली में महेश पाल को देता था। महेश पाल ने बताया कि वह इस अफीम में अन्य नशीले पदार्थ मिलाकर इसकी मात्रा बढ़ाता था। तैयार की गई अफीम को वह उत्तर प्रदेश, पंजाब, दिल्ली और उत्तराखंड में बेचता था। महेश पाल स्वयं ही अफीम भेजने व बिक्री करने की व्यवस्था करता था।

अमर उजाला पेज नं-05

गांजा-डोडा के साथ युवक गिरफ्तार

फतेहगंज पूर्वी। हाईवे किनारे बहगुल नदी की ओर जहांगीर मस्जिद के आगे 1,309 ग्राम डोडा (छिलका) और 1,480 ग्राम गांजा के साथ युवक को गिरफ्तार किया गया है। युवक ने पुलिस को अपनी पहचान सिमरा हरिचंद गांव निवासी मोर सिंह बताया। वह बदायूं के दातागंज थाना क्षेत्र के गांव पड़ेवा का मूल निवासी है। कई साल से सिमरा हरिचंद में रह रहा है। ट्रक चालकों को स्मैक बेचता था। थाना प्रभारी संतोष कुमार ने बताया कि गश्त के दौरान युवक को गिरफ्तार किया गया। उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करके कोर्ट में पेश किया गया। वहां से जेल भेजा गया है। संवाद

243 ग्राम स्मैक के साथ दो युवक गिरफ्तार

भमोरा। पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान 243 ग्राम स्मैक के साथ दो युवकों को गिरफ्तार किया है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में इस स्मैक की कीमत 2.43 करोड़ रुपये बताई गई है। एसएचओ पवन कुमार सिंह ने बताया कि मंगलवार रात गांव बमियाना जाने वाले रास्ते पर अलीगंज के फैजल्लापुर के गांव कुंडलिया निवासी कमल के पास से 124 ग्राम और विजय वर्मा के पास से 119 ग्राम स्मैक बरामद हुई है। दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज की गई है। संवाद

अमर उजाला पेज नं-06

किशोरी से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार : शेरगढ़। थाना क्षेत्र के एक गांव की महिला ने अपनी 13 वर्षीय बेटी से दुष्कर्म का आरोप लगाया है। महिला ने अरुण के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। किशोरी कक्षा सातवीं की छात्रा है, जो मट्ठा लेने गई थी। आरोप है कि इसी दौरान आरोपी अरुण ने उसका मुंह कपड़े से बंद कर खाली मकान में खींचकर दुष्कर्म किया। पीड़ित महिला ने बताया कि बेटी कई दिनों तक डरी सहमी रही। बार-बार पूछने पर उसने घटना की जानकारी दी। इंस्पेक्टर क्राइम सत्य सिंह ने बताया कि आरोपी को जेल भेजा गया है। संवाद

दैनिक जागरण पेज नं-04

किशोरी से दुष्कर्म, आरोपित गिरफ्तार

संसू, जागरण • शेरगढ़: थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी किशोरी की मां ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि बीती 7 मई को दोपहर उसकी पुत्री पड़ोसी के घर मट्ठा लेने गई थी। इस दौरान पड़ोसी की पत्नी ने कहा कि मट्ठा लेने के लिए अपने घर से गिलास ले आओ। मां का आरोप है कि उसकी बेटी जैसे ही पड़ोसी के घर से निकली। तभी उसकी पुत्री को एक अन्य पड़ोसी के घर आया रिश्तेदार अरुण पुत्र राजवीर निवासी ग्राम खेड़ा थाना भमोरा ने जबरन दबोच लिया। आरोप है कि मुंह में कपड़ा ठूंस कर उसकी पुत्री को एक खाली मकान में खींचकर अंदर ले गया। आरोपित ने उसकी पुत्री के साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज करने के बाद आरोपित अरुण को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

243 ग्राम स्मैक सहित दो युवक गिरफ्तार

संसू जागरण • भमोरा: पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान दो युवकों को 243 ग्राम स्मैक सहित गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी पवन कुमार सिंह ने बताया कि सोमवार की रात में पुलिस टीम ने बमियाना जाने वाले मार्ग पर संदिग्ध व्यक्तियों व वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान दो युवकों को रोककर जब उनकी तलाशी ली गई। तब 243 ग्राम स्मैक बरामद हुई। पकड़े गये आरोपितों में थाना अलीगंज के गांव कुंडरिया फैजुल्लापुर का कमल व उसका साथी विजय वर्मा है। दोनों आरोपितों के विरुद्ध एनडीपीएस के अंतर्गत कार्रवाई करके जेल भेज दिया गया है।

स्मैक सहित गिरफ्तार किए गए आरोपित •

गांजा व अफीम डोडा के साथ आरोपित गिरफ्तार

संसू, जागरण • फतेहगंज पूर्वीः पुलिस टीम ने चेकिंग के दौरान एक आरोपित को गांजा एवं अफीम डोडा के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस टीम ने चेकिंग के दौरान हसनी जहांगीर मस्जिद से आगे हाईवे किनारे बैगुल नदी की ओर जाने वाले कच्चे रास्ते पर घेराबंदी कर आरोपित को पकड़ा। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से 1480 ग्राम गांजा तथा 1309 ग्राम अफीम डोडा बरामद हुआ। गिरफ्तार आरोपित की पहचान मोर सिंह पुत्र नरेश पाल सिंह निवासी ग्राम सिमरा हरचंद्र सिंह के रूप में हुई है। उसने बताया कि वह ट्रक चालकों से गांजा एवं अफीम डोडा खरीदकर अन्य चालकों को बेचता था।

फतेहगंज पूर्वी थाना पुलिस की गिरफ्त में आरोपित •

व्यापारी को धमकाने वाला गिरफ्तार

जासं, बरेली : कुतुबखाना में व्यापारी को धमकाने वाले युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर चालान कर दिया है। मंगलवार को कुतुबखाना स्थित फैन एंड फैशन शोरूम पर दो युवकों ने धमकी दी थी। उन्होंने कहा था कि उनका काम ही है कि लोगों को धमकाकर दबंगई करना। इस मामले का किसी ने वीडियो बनाया और इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित कर दिया। मामले में कोतवाली पुलिस ने संज्ञान लिया और वीडियो में दिखने वाले आरोपित को हिरासत में ले लेकर पूछताछ की आरोपित ने अपना नाम ध्रुव बताया। कोतवाली पुलिस ने आरोपित का चालान कर दिया है।

दैनिक जागरण पेज नं-05

दो किलो अफीम के साथ एसटीएफ ने दो तस्कर किए गिरफ्तार

- झारखंड से लाते थे अफीम, कैंट क्षेत्र में केमिकल मिलाकर बढ़ाते थे मात्रा आरोपितों से कई चीजें बरामद
- बरेली के अलावा, पंजाब, हरियाणा दिल्ली में होती थी सप्लाई, पुलिस ने दोनों को भेजा जेल

जागरण संवाददाता, बरेली : दो किलो अफीम के साथ एसटीएफ ने दो तस्करों को गिरफ्तार किया है। यह आरोपित झारखंड से अफीम लाते थे और कैंट क्षेत्र में उसमें केमिकल आदि की मिलावट कर उसकी मात्रा बढ़ाकर सप्लाई करते थे। पुलिस ने आरोपितों के पास से कुटकी, चपड़ा चाप, काला रंग जैसी कई चीजें बरामद की हैं।

दोनों आरोपितों को जेल भेज दिया गया है। एसटीएफ को सूचना मिल रही थी कि शहर में बड़े स्तर पर मादक पदार्थों की तस्करी की जा रही है। आरोपितों की तलाश में एसटीएफ की टीम लंबे समय से लगी हुई थी। सोमवार शाम एसटीएफ टीम को सूचना मिली कि कैंट क्षेत्र में झारखंड से एक व्यक्ति अफीम लेकर आ रहा है। टीम ने दबिश दी और उमरसिया मोड़ से पहले कांधरपुर के पास दो आरोपितों को गिरफ्तार किया। उनके पास से एसटीएफ ने दो किलो अफीम बरामद की। पूछताछ में आरोपितों ने अपना नाम झारखंड के चतरा थाना क्षेत्र के दारियातू गांव निवासी राजू कुमार डांगी और दूसरे ने कैंट के भोलापुर गांव निवासी महेश पाल बताया। पूछताछ में आरोपित राजू कुमार डांगी ने बताया कि वह झारखंड और रांची से अफीम लाकर बरेली में महेश पाल को सप्लाई करता था। वहीं,

आरोपित राजू और महेश• सौ. पुलिस

महेश पाल ने स्वीकार किया कि वह अफीम में विभिन्न केमिकल व नशीले पदार्थ मिलाकर उसकी मात्रा बढ़ाता था और तैयार माल को उत्तर प्रदेश, पंजाब, दिल्ली और उत्तराखंड में सप्लाई करता था। यह नेटवर्क पिछले करीब तीन वर्षों से सक्रिय था। पुलिस ने आरोपितों के पास से 300 ग्राम कुटकी, 700 ग्राम चपड़ा चाप, 2.18 किलोग्राम गोंद, 88 ग्राम काला रंग, 130 ग्राम तेल, 145 ग्राम चीनी, 630 ग्राम पिघला हुआ गोंद के अलावा डिजिटल तराजू, गैस सिलिंडर, भट्ठी, पैकिंग मशीन आदि बरामद किए हैं। दोनों आरोपितों को जेल भेज दिया गया है।

दैनिक जागरण पेज नं-06

3,500 रुपये लूटने को हुई थी फैक्ट्री कर्मचारी की हत्या

दो आरोपित गिरफ्तार, रुपये लूटने को आदेश को पिलाई थी शराब बाद में मारपीट के बाद हत्या कर दी

फतेहगंज पश्चिमी पुलिस की गिरफ्त में हत्यारोपित • जागरण

संवाद सूत्र, जागरण • फतेहगंज पश्चिमी : फतेहगंज पश्चिमी थाना क्षेत्र के मड़ौली गांव में आइसक्रीम फैक्ट्री कर्मचारी आदेश की गला दबाकर हत्या की गई थी। पुलिस ने मामले में दो आरोपितों को गिरफ्तार कर पूछताछ की तो पता चला कि आदेश की हत्या महज 3,500 रुपये लूटने के लिए की गई थी। पुलिस ने दोनों आरोपितों को जेल भेज दिया है।

- 15 मई को फतेहगंज पश्चिमी मडौली गांव में मिला था आदेश का शव
- 16 मई को पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण आया था गला घोंटना

> हत्यारोपित फतेहगंज पश्चिमी के ही थे, स्थानीय लोगों ने घटना वाले दिन उन्हे खेतो की तरफ से आते देख लिया था। दोनो आरोपितो से पूछताछ हुई तो उन्होंने घटना स्वीकार ली। दोनो को जेल भेज दिया गया है।
>
> –शिवम आशुतोष, एएसपी

मूल रूप से भोजीपुरा के मुड़िया चेतराम गांव निवासी आदेश शराब पीने के आदी थे। वह परसाखेड़ा स्थित एक आइसक्रीम फैक्ट्री में काम करते थे। 14 मई को उनके साथ के एक कर्मचारी की शादी थी। इसलिए वह वहां गए थे। रात में शराब पीकर डीजे पर डांस किया तो गिरने की वजह से आंख में चोट भी लगी थी। 15 मई को सुबह आदेश शराब के नशे में थे और शंखा पुल पर खड़े किसी वाहन का इंतजार कर रहे थे। इसी बीच वहां से मीरगंज निवासी शहंशाह और फतेहगंज पश्चिमी निवासी सोनू कश्यप अपनी पिकअप से वहां से गुजरे तो आदेश ने उनसे लिफ्ट मांगी। तीनों के बीच बातचीत हुई तो शराब पीने की बात होने लगी। इस पर शहंशाह और सोनू भी शराब पीने को तैयार हो गए। इससे पहले दोनों ने आदेश की पट्टी भी कराई थी क्योंकि आदेश को चोट लगी थी। शराब भट्ठी से शराब खरीदने के लिए जब आदेश ने अपनी जेब से पर्स निकाला तो दोनों आरोपितों ने उनकी जेब में रखे रुपये देख लिए थे। इसके बाद उन्होंने रुपये लूटने के लिए पहले आदेश को खूब शराब पिलाई और खुद कम पी। जब आदेश ज्यादा नशे में हो गए तो उनके साथ मारपीट की और बाद में गला दबाकर हत्या कर दी। उनकी जेब से पर्स निकालकर देखा तो उसमें केवल 3,500 रुपये मिले। जिसे शहंशाह और सोनू ने क्रमशः 1800 और 1700 रुपये कर बांट लिया। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

हिन्दुस्तान पेज नं-05

अफीम फैक्ट्री का हुआ भंडाफोड़ कई प्रदेशों में करते थे तस्करी

कार्रवाई

बरेली, मुख्य संवाददाता। कैंट पुलिस और एसटीएफ यूनिट बरेली की संयुक्त टीम ने अफीम फैक्ट्री का भंडाफोड़ कर गिरोह के दो अंतरराज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया है। यह गिरोह झारखंड से अफीम लाकर उसमें अन्य सामग्री की मिलावट करके कई प्रदेशों में सप्लाई करता था।

कैंट इंस्पेक्टर संजय धीर ने बताया कि रविवार रात उमरसिया मोड़ से पहले कांधरपुर क्षेत्र में श्यामलाल के मकान पर छापेमारी की गई। कार्रवाई के दौरान झारखंड के चतरा निवासी राजू कुमार और कैंट क्षेत्र के हिंडौलिया भोलापुर निवासी महेश पाल को गिरफ्तार किया गया। मौके से 2.120 किलोग्राम अफीम, 300 ग्राम कुटकी,

अफीम तस्कर राजू और महेश पाल।

700 ग्राम चपड़ा चाप, 2.180 किलोग्राम गोंद, 88 ग्राम काला रंग, 130 ग्राम तेल, 145 ग्राम चीनी और 630 ग्राम पिघला हुआ गोंद बरामद किया। इसके अलावा दो डिजिटल तराजू, गैस सिलेंडर व भट्टी, लोहे की कढ़ाई, पलटा, पैकिंग और सीलिंग मशीन और दो स्मार्ट फोन भी कब्जे में लिए गए हैं।

मिलावट कर बढ़ाते थे अफीम की मात्राः पूछताछ में आरोपी राजू कुमार ने बताया कि वह झारखंड के रांची क्षेत्र से अफीम लाकर महेश पाल को देता था। महेश उस अफीम में केमिकल और अन्य नशीले पदार्थ मिलाकर उसकी मात्रा बढ़ाता था। महेश पाल के खिलाफ पहले भी एनडीपीएस एक्ट समेत अन्य धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। मामले में थाना कैंट में एनडीपीएस एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज कर दोनों को जेल भेजा गया है।

दिल्ली समेत कई प्रदेशों में सप्लाई : पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे लोग अच्छी क्वालिटी की एक किलो अफीम में मिलावट कर तीन-चार किलो तक बना देते थे। इसके बाद तैयार हुई मिलावटी अफीम को उत्तर प्रदेश, पंजाब, दिल्ली और उत्तराखंड में सप्लाई करते थे। महेश को वर्ष 2023 और 2024 में भी मादक पदार्थ तस्करी में गिरफ्तार कर जेल भेजा है।

वांछित गैंगस्टर तमंचा समेत गिरफ्तार

बरेली। गैंगस्टर के मुकदमे में वांछित अपराधी संजयनगर निवासी गंगाधर को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेजा है। उसके कब्जे से तमंचा और कारतूस बरामद किया गया है। कोतवाली इंस्पेक्टर धनंजय पांडेय ने बताया कि गंगाधर के खिलाफ सुभाषनगर और कोतवाली में चार मुकदमे दर्ज हैं।

दोस्ती करके 3500 रुपये के लालच में कर दी युवक की हत्या

चोट की मरहम पट्टी कराकर की दोस्ती, फिर दबा दिया गला, दोनों आरोपी गिरफ्तार

खुलासा

मीरगंज/ फतेहगंज पश्चिमी, संवाददाता। पुलिस ने आदेश मिश्रा हत्याकांड का खुलासा कर दो हत्यारोपियों को गिरफ्तार किया। आदेश की हत्या 35 सौ रुपयों के लालच में की गई थी। आरोपियों ने पहले उसके शरीर पर लगे चोट की मरहम-पट्टी कराकर दोस्ती की फिर उसी के पैसे से शराब लाकर पिलाई और जेब में ज्यादा रुपये देखकर गला दबाकर हत्या कर दी।

भोजीपुरा के गांव मुड़िया चेतराम के रहने वाले आदेश मिश्रा 14 मई की शाम अपने सहकर्मी की बहन की शादी में फतेहगंज पश्चिमी के चिराग पैलेस गए थे। शादी समारोह के बाद वे घर नहीं लौटे। 15 मई को मढ़ौली के पास नहर किनारे उनका शव पड़ा मिला। पोस्टमार्टम में आदेश के शरीर पर चोटों के निशान मिले और गला दबाकर हत्या की पुष्टि हुई। इस पर आदेश के पुत्र आकाश ने फतेहगंज पश्चिमी थाने में 17 मई को मुकदमा दर्ज करा दिया। इस मामले में एसओ प्रयागराज सिंह की टीम ने सोमवार को गांव बल्लिया फरीदापुर रामचरन के सोनू कश्यप और नगरिया सादात के शहंशाह को गिरफ्तार कर घटना का खुलासा कर दिया। उनके कब्जे से 2670 रुपये, आदेश का पर्स, ड्राइविंग लाइसेंस आदि बरामद कर जेल भेज दिया गया है।

आदेश मिश्रा के हत्यारोपी ।

आरोपियों ने आदेश की कराई थी मरहम पट्टी

पूछताछ में आरोपी सोनू और शहंशाह ने बताया कि 15 मई की सुबह वे मीरगंज अंडरपास पहुंचे। दोनों सोनू के गांव जाने को वाहन से शंखा पुल पर उतर गए। गांव जाते समय रास्ते में उन्हें आदेश मिश्रा खड़ा मिला। दोनों ने पास जाकर उसका नाम-पता पूछा और अपना परिचय भी दिया। इस दौरान आदेश उन्हें नशे में लगा और उसके माथे पर दहिनी ओर चोट भी लगी थी। इसके बाद दोनों आदेश को लेकर पिकअप वाहन से बल्लिया लेकर पहुंचे और डॉक्टर से उसकी मरहम पट्टी कराई।

शराब लेने के दौरान रुपये देखकर बिगड़ी नीयत

मरहम-पट्टी के बाद तीनों कार से मढ़ौली पहुंचे व नहर पटरी के खड़ंजा पर रुक गए। तभी आदेश ने शराब लाने को पर्स से सोनू को रुपये दिए। रुपये देते समय सोनू और शहंशाह की नजर उसके पर्स में रखे रुपयों पर पड़ी तो उनकी नीयत खराब हो गई। इसके बाद सोनू शराब लेकर आया तो तीनों ने नहर पटरी पर एक साथ शराब पी। योजना के तहत दोनों आरोपियों ने आदेश को ज्यादा शराब पिलाई और फिर गला दबाकर हत्या के बाद उसका पर्स निकाल लिया। उसमें 3500 रुपये निकले, जिनमें से सोनू ने 1700 और शहंशाह ने 1800 रुपये लेकर दोनों अपने घर चले गए।

> राह चलते दोस्ती होने के बाद दोनों आरोपियों ने आदेश के साथ शराब पी और फिर गला घोंटकर हत्या के बाद 35 सौ रुपये लेकर फरार हो गए। सीसीटीवी कैमरा एवं सर्विलांस की मदद से खुलासा कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। **– शिवम आशुतोष सिंह,** एएसपी

दस लीटर शराब के साथ गिरफ्तार

बहेड़ी। एसआई मनोज कुमार ने टीम के साथ सिरसा कॉलेज के पीछे एक युवक दिलबाग सिंह पुत्र रेशम सिंह निवासी सिरसा उर्फ बहुनागर के को दस लीटर अवैध शराब सहित पकड़ा है। युवक पर केस दर्ज कर पुलिस ने जेल भेज दिया।

तस्कर से किया डोडा और गांजा बरामद

फतेहगंज पूर्वी। पुलिस टीम ने गश्त के दौरान हाईवे किनारे बहगुल नदी की ओर जाने वाले रास्ते पर एक संदिग्ध व्यक्ति की तलाशी ली। उसके कब्जे से 1480 ग्राम गांजा तथा 1309 ग्राम डोडा छिलका बरामद हुआ। तस्कर ने नाम मोर सिंह पुत्र नरेश पाल सिंह निवासी ग्राम सिमरा हरचन्द सिंह थाना फतेहगंज पूर्वी बताया। पुलिस ने थाना फतेहगंज पूर्वी में एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया।

243 ग्राम स्मैक में जेल भेजे गए तस्कर

भमोरा। पुलिस ने दो युवकों को 243 ग्राम स्मैक बरामद कर जेल भेज दिया।

प्रभारी निरीक्षक पवन कुमार सिंह ने बताया कि उप निरीक्षक हीरेन्द्र सिंह, राजपाल सिंह, योगेश सिंह, सिपाही मुस्तफा के साथ बरेली-बदायूं हाईवे से बभियाना जाने वाले रास्ते पर रात्रि गश्त के दौरान पुलिस टीम को दो युवक आते दिखे। पुलिस ने उन दोनों की तलाशी ली, जिसमें कमल निवासी कुंडरिया फैजुल्लापुर थाना अलीगंज के पास से 124 ग्राम स्मैक तथा दूसरे विजय वर्मा कुंडरिया फैजुल्लापुर थाना अलीगंज के पास से 119 ग्राम स्मैक बरामद हुई है। राह चलते व्यक्ति से स्मैक खरीदी थी, जिसे चोरी छुप महंगे दामों में बेंच देते है, मुनाफा आपस में आधा-आधा बांटकर अपने शौक पूरे करते हैं।

जनपद बदायूँ

पेपर – दैनिक जागरण, पेज न0-05

विनावर में जुए के अड्डे पर पुलिस छापा चार जुआरी गिरफ्तार

संसू जागरण • सिलहरी : थाना विनावर क्षेत्र में लंबे समय से चल रहे जुए के अड्डे पर पुलिस ने छापेमारी कर उमेश, संजीव कुमार, चमन कुमार और बृजमोहन को गिरफ्तार किया है। मौके से पुलिस ने 4100 रुपये नकद और ताश की गड्डी बरामद की है। चारों आरोपितों के खिलाफ जुआ अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। बरेली-मथुरा हाईवे के बाइपास और धर्मकांटा के बीच जुए का खेल बड़े पैमाने पर चल रहा था।

पेपर – दैनिक जागरण, पेज न0-09

अवैध खनन कर रही जेसीबी और ट्रैक्टर सीज

जासं, बदायूं : जिले में अवैध खनन और मिट्टी के अवैध परिवहन के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कई वाहनों को सीज किया है। खान विभाग और प्रशासन की सख्ती के बावजूद अवैध खनन का कारोबार लगातार जारी है। कार्रवाई के बाद खनन माफियाओं में हड़कंप मच गया।

जिला खान अधिकारी गुलशन कुमार के नेतृत्व में चलाए गए अभियान के दौरान थाना दातागंज क्षेत्र में एक जेसीबी और तीन ट्रैक्टर पकड़े गए। वहीं थाना हजरतपुर क्षेत्र में एक लेवलर मशीन और एक ट्रैक्टर को सीज किया गया। बताया जा रहा है कि हजरतपुर थाना के पास खेतों में अवैध खनन हो रहा था, जिसका वीडियो भी इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुआ है। इसके अलावा थाना मूसाझाग क्षेत्र में एक लेवलर मशीन और दो ट्रैक्टरों को कब्जे में लेकर संबंधित थाने की सुपुर्दगी में दिया गया। खान विभाग ने सभी वाहनों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई करते हुए जुर्माना लगाया है।

पेपर – दैनिक जागरण, पेज न0-09

रंजिशन युवक की हत्या के दो दोषियों को उम्रकैद

जासं,बदायूं : रंजिश के चलते युवक की गोली मारकर हत्या करने के मामले में प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश कु. रिंकू की अदालत ने दो आरोपितों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी हरिश्चंद्र पर 28 हजार रुपये और अनिल पर 26 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, थाना अलापुर क्षेत्र के गांव कोड़ा गुर्जर निवासी जगबीर पुत्र रामपाल ने 18 अगस्त 2021 को पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि 17 अगस्त 2021 की रात करीब साढ़े आठ बजे वह अपने भाई नरसिंह के साथ घर की छत पर लेटा हुआ था। इसी दौरान गांव के ही अनिल पुत्र प्रताप सिंह और हरिश्चंद्र पुत्र अभिलाख हरिश्चंद्र की छत पर खड़े होकर गाली-गलौज करने लगे। विरोध करने पर दोनों आरोपितों ने जान से मारने की धमकी दी। तहरीर में कहा गया कि आरोपित हरिश्चंद्र ने अवैध तमंचे से फायर कर दिया, जिसमें एक गोली नरसिंह के सीने में जा लगी। गोली लगने के बाद परिवार के लोग घायल नरसिंह को एंबुलेंस से जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना को स्वजन सहित गांव के कई लोगों ने देखा था। मामले में पुलिस ने हरिश्चंद्र और अनिल के खिलाफ हत्या समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से अपर शासकीय अधिवक्ता संजीव कुमार गुप्ता ने साक्ष्य और गवाह पेश किए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद न्यायालय ने दोनों आरोपितों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद और अर्थदंड की सजा सुनाई।

पेपर- हिन्दुस्तान, पेज न0-05

गाली-गलौज के विरोध पर हत्या में दो को उम्रकैद

कोर्ट से

बदायूं, विधि संवाददाता। अपर जिला जज कक्ष संख्या एक की न्यायाधीश रिंकू ने रंजिश को लेकर की गई हत्या में दो दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई। इसके साथ ही एक पर 28 हजार और दूसरे दोषी पर 26 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

अपर शासकीय अधिवक्ता संजीव कुमार गुप्ता के अनुसार वादी जगवीर निवासी ग्राम कोडा गुजर अलापुर ने 18 अगस्त 2021 को तहरीर दी थी। इसमें उसने बताया था कि वह और उसका भाई नरसिंह 17 अगस्त 2021 की रात 8:30 बजे घर की छत पर लेटा था। इसी दौरान गांव का अनिल तथा हरिश्चंद्र दोनों ने छत पर खड़े होकर उसके भाई से गालीगलौज कर रहे थे। भाई ने गाली देने को मना किया तो हरिश्चंद्र ने तमंचे से फायर कर दिया था। गोली भाई के सीने में लगी थी। घायल अवस्था में नरसिंह को एंबुलेंस से जिला अस्पताल ले जाया गया। जहां डॉक्टर ने भाई को मृत घोषित कर दिया। अलापुर थाना पुलिस ने अनिल और हरिश्चंद्र के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया था। पुलिस ने विवेचना के बाद चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की। न्यायाधीश ने अधिवक्ता की दलीलों को सुनने के बाद दोनों आरोपियों को दोषी मानते हुये उम्रकैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने हरिश्चंद्र पर 28 हजार और अनिल को 26 हजार रुपये जुर्माना अदा कराने का आदेश दिया।

जनपद पीलीभीत

अमर उजाला पेज नं- 2

चेयरमैन के पति को सोशल मीडिया पर दी धमकी, आरोपी गिरफ्तार

व्हाट्सएप कॉल और फेसबुक पोस्ट के जरिये धमकाया, रिपोर्ट दर्ज

पीलीभीत। नगर पंचायत नौगवां पकड़िया के चेयरमैन संदीप कौर के पति को सोशल मीडिया के माध्यम से जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। आरोप है कि युवक ने व्हाट्सएप कॉल, मेसेज और फेसबुक पोस्ट के जरिए अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए लगातार धमकियां दीं। पीड़ित पक्ष की शिकायत पर थाना सुनगढ़ी पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी दीपक सक्सेना को गिरफ्तार कर लिया है।

नगर पंचायत नौगवां पकड़िया के चेयरमैन के पति संतोख सिंह संधू ने थाना सुनगढ़ी में दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया कि उनके मोबाइल फोन पर दो अलग-अलग नंबरों से लगातार व्हाट्सएप मेसेज और वॉइस कॉल की जा रही थीं। इन संदेशों और कॉल में उनके व उनके परिवार के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करते हुए जान से मारने की धमकी दी जा रही थी। इससे परिवार में भय और दहशत का माहौल बना हुआ था। आरोपी ने फेसबुक पर उनकी फोटो लगाकर आपत्तिजनक पोस्ट भी साझा की। पोस्ट में अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया, जबकि कमेंट बॉक्स में भी अपमानजनक टिप्पणियां की गईं।

उनका कहना है कि इससे उनकी सामाजिक छवि धूमिल हुई है और मान-सम्मान को ठेस पहुंची है। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि धमकी देने वाले युवक का पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए कार्रवाई करते हुए सुनीगढ़ क्षेत्र के रामलीला रेलवे क्रॉसिंग के निकट रहने वाले आरोपी दीपक सक्सेना को गिरफ्तार कर लिया। इंस्पेक्टर नरेश त्यागी ने बताया कि मामले में रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर चालान किया है। मामले में गहनता से जांच की जा रही है। संवाद

नियमों की अनदेखी पर 50 डग्गामार समेत 142 वाहनों का किया चालान

पीलीभीत। नियमों की अनदेखी कर सड़कों पर फराटा भरने वाले वाहनों पर पुलिस ने शिकंजा कसा है। मंगलवार को सीओ ट्रैफिक के नेतृत्व में टीमों ने अलग-अलग क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाकर 50 डग्गामार समेत 142 वाहनों का चालान किया। एसपी के निर्देशन में चलाए गए अभियान के दौरान यातायात पुलिस टीम ने प्रमुख मार्गों, बस अड्डों और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में विशेष चेकिंग अभियान चलाया। अभियान के दौरान कुल 142 वाहनों के चालान किए गए और 1.86 लाख रुपये का शमन शुल्क वसूला गया। सीओ ट्रैफिक आकृति पटेल ने इसकी पुष्टि की है। संवाद

11 ग्राम स्मैक सहित नेपाली नागरिक गिरफ्तार, बाइक सवार साथी भागा

वीर बहादुर।

पूरनपुर। हजारा थाना पुलिस ने एसएसबी के साथ नेपाल सीमा पर चेकिंग के दौरान पिलर नंबर 782/7 से पहले बाइक सवार नेपाल के वीर बहादुर धामी को 11 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार कर लिया। उसके पास ने नेपाली बाइक और मोबाइल फोन बरामद हुआ। पुलिस को देखकर उसका बाइक सवार साथी भाग गया।

हजारा एसओ शरद यादव ने बताया कि सोमवार शाम को सीमा पर एसएसबी के साथ चेकिंग के दौरान नेपाल सीमा पर नेपाल की ओर से दो बाइकों से आ रहे दो लोगों को रोकने की कोशिश की गई।

गांव टाटरगंज का बलवीर सिंह उर्फ वीरू बाइक लेकर भाग गया। नेपाल के जिला कंचनपुर के महेंद्र नगर के गाऊजी वेदकोट निवासी वीर बहादुर को बाइक सहित पकड़ लिया गया। वीर बहादुर के पास से 11 ग्राम स्मैक, नेपाली बाइक, सिम सहित मोबाइल फोन बरामद हुआ। संवाद

59 वाहनों के हुए एमवी एक्ट में चालान

चुर्रासकतपुर। ट्रैफिक पुलिस ने मंगलवार को पेट्रोल पंप के पास अभियान चला कर पंजीयन संबंधी एवं अन्य अभिलेख न होने के कारण 59 वाहनों के एमवी एक्ट में चालान किए। चालान किए गए वाहनों में दो पहिया और चौपहिया वाहन शामिल हैं। अभियान उप निरीक्षक हशमत अली के नेतृत्व में चलाया गया। संवाद

दैनिक जागरण पेज नं-4

11 ग्राम स्मैक के साथ तस्कर को पुलिस और एसएसबी ने पकड़ा

संस, जागरण • पूरनपुर : हजारा थाना पुलिस और सीमा पर तैनात एसएसबी जवानों ने संयुक्त रूप से 11 ग्राम स्मैक सहित नेपाल के युवक को पकड़ा है। उसके कब्जे से एक बाइक भी बरामद की गई है। पुलिस ने प्राथमिकी लिखकर जेल भेज दिया।

भारत नेपाल सीमा पर तैनात एसएसबी जवान और हजारा थाना पुलिस चेकिंग अभियान चला रही थी। चेकिंग के दौरान अंतरराष्ट्रीय स्तंभ संख्या 782/7 से पहले एक बाइक पर सवार दो व्यक्ति आते दिखे। पुलिसकर्मियों को देखकर भागने लगे।

पुलिस ने एक आरोपित को दबोच लिया। दूसरा भाग गया। पूछताछ में आरोपित ने अपना नाम वीर बहादुर धामी निवासी गांव गाऊजी बेदकोट नगरपालिका सात थाना महेन्द्रनगर जिला कंचनपुर नेपाल बताया। मौके से भागने वाले आरोपित का नाम बलवीर उर्फ वीरू निवासी गांव टाटरगंज बताया। आरोपित ने बताया कि वह बलवीर के साथ नेपाल से आने वाले नागरिकों को स्मैक बिक्री करता है। तलाशी में उसके पास से 11 ग्राम स्मैक, एक मोबाइल, बाइक भी बरामद की गई।

दैनिक जागरण पेज नं-5

बंधक बनाकर युवक को पीटा, आठ पर प्राथमिकी दर्ज, दो गिरफ्तार

भानडांडी गांव की घटना **डायल 112 पुलिस** ने बंधन मुक्त कराया

जासं, पीलीभीत : कोतवाली जहानाबाद क्षेत्र के भानडांडी गांव में नल मिस्त्री के घर से लौट रहे युवक को रास्ते में रोककर कुछ लोगों ने बंधक बनाया और उसकी पिटाई कर दी। आरोप है कि तमंचा थमाकर फर्जी मुकदमे में जेल भिजवाने की भी दे डाली। सूचना मिलने पर पहुंचे युवक के पिता ने डायल 112 पुलिस बुलाया, पुलिस ने युवक को बंधन मुक्त कराया। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर आठ लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर दो आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है।

नबी खां ने बताया कि सोमवार रात आठ बजे उनका बेटा वसीम बाइक से गांव के नल मिस्त्री हैदर अली के घर नल ठीक कराने को बात करने गया था। वहां से वापस लौटते समय गांव के तिराहे पर पहले से घात लगाए बैठे गांव के जब्बर शाह ने उसे पत्थर दिखाकर रोक लिया। इसके बाद छोटे, तसव्वर, हसनैन, भूरा, फैजान अली, इरशाद, नगीना समेत अन्य लोग मौके पर पहुंच गए। आरोप है कि वे सभी लोग वसीम को जबरन खींचकर हसनैन के घर ले गए और वहां बंधक बनाकर लाठी-डंडों से पिटाई की। मारपीट के दौरान आरोपितों ने वसीम को जबरन एक तमंचा पकड़ा दिया और झूठे मुकदमे में जेल भिजवाने की धमकी दी। घटना की जानकारी होने पर वसीम के स्वजन और डायल 112 पुलिस को दी। पुलिस के मौके पर पहुंचने से पहले ही आरोपित मौके से फरार हो गए।

प्रभारी निरीक्षक जहानाबाद प्रदीप बिश्नोई ने बताया कि शिकायती पर आठ लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी लिखी गई है, जिसमें जब्बर शाह और इरशाद को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले की जांच की जा रही है और शेष फरार आरोपितों की तलाश में पुलिस टीमें दबिश दे रही हैं।

दैनिक जागरण पेज नं-6

युवक को पीटने वालों का शांतिभंग में चालान

पूरनपुर : सोमवार की देर रात बाइक सवार युवकों ने मुहल्ला चौक के नितिन गुप्ता को स्टेशन रोड पर घेरकर बुरी तरह मारापीटा था। इससे युवक की हालत बिगड़ गई थी। पुलिस ने दो आरोपितों को दबोच लिया। अन्य फरार हो गए। इस मामले में एक जनप्रतिनिधि को नामजद करते हुए तहरीर दी गई। लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। मंगलवार को दोनों युवकों का शांतिभंग की आशंका में चालान कर दिया गया।

हिन्दुस्तान पेज नं- 5

बॉर्डर पर स्मैक के साथ पकड़ा गया नेपाली तस्कर

पूरनपुर, संवाददाता। चेकिंग के दौरान पुलिस और एसएसबी की संयुक्त टीम ने नेपाली तस्कर को पकड़ लिया। उसके पास से से स्मैक बरामद हुई। साथी बाइक से कूदकर फरार हो गया। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया।

सोमवार को थाना हजारा पुलिस और एसएसबी बॉर्डर पर पिलर संख्या 782/7 के पास संदिग्ध व्यक्ति और वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इस दौरान दो संदिग्ध बाइक से आते दिखाई दिए। बाइक पर बैठा एक युवक कूदकर फरार हो गया। पुलिस ने दूसरे बाइक सवार को पकड़ लिया। तलाशी लेने पर उसके पास 11 ग्राम स्मैक बरामद हुई। पकड़े गए आरोपी ने अपना नाम वीर बहादुर धामी पुत्र लाल बहादुर निवासी गांव गाऊजी थाना महेंद्रनगर जिला कंचनपुर नेपाल बताया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह और फरार हुआ उसका साथी कलबीर

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी।

उर्फ वीर निवासी टाटरगंज स्मैक की बिक्री कर पालन पोषण करते हैं। पुलिस ने बाइक सहित नेपाली तस्कर को हिरासत में ले लिया। थाना हजारा एसओ शरद यादव ने बताया कि आरोपी वीर बहादुर और उसके साथी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। गिरफ्तार आरोपी को जेल भेज दिया गया।

युवक को बंधक बनाकर पीटा, दो आरोपी गिरफ्तार

दुस्साहस

- आरोपियों ने तमंचा थमाकर फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी दी
- डायल 112, जहानाबाद पुलिस ने युवक को कराया बंधकमुक्त

जहानाबाद, संवाददाता। घर जा रहे युवक को रास्ते में पत्थर दिखाकर रोक लिया गया। आरोपी और उसके साथी युवक को खींचकर अपने घर पर ले गए और बंधक बना लिया। युवक की पिटाई करते हुए तमंचा थमाकर फर्जी मुकदमे में जेल भिजवा देने की धमकी दी। युवक के पिता की सूचना पर पहुंची डायल 112 पुलिस ने मौके पर पहुंचकर युवक को बंधकमुक्त करवाया। युवक की तहरीर पर कोतवाली जहानाबाद में आठ लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया है।

कोतवाली जहानाबाद क्षेत्र के ग्राम भानडांडी निवासी नबी खां ने कोतवाली जहानाबाद में रिपोर्ट दर्ज कराई। जिसमे कहा गया कि 18 मई की रात आठ बजे उनका बेटा वसीम मोटरसाइकिल से गांव के नल मिस्त्री हैदर अली के घर नल ठीक कराने की बात करने गया था। वापस लौटते समय गांव के तिराहे पर पहले से घात लगाए बैठे जबर शाह ने उसे पत्थर दिखाकर रोक लिया। इसके बाद आरोपी पक्ष के गांव निवासी छोटे, तसब्बर, हसनैन, भूरा, फैजान अली, इरशाद, नगीना समेत अन्य लोग मौके पर पहुंच गए। आरोप है कि सभी लोग वसीम को जबरन खींचकर हसनैन के घर ले गए और वहां बंधक बनाकर बेरहमी से मारपीट की। मारपीट के दौरान आरोपियों ने वसीम को तमंचा पकड़ाकर झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी। घटना की सूचना गांव वालों ने परिजनों और 112 पुलिस को दी। पुलिस के मौके पर पहुंचने से पहले आरोपी पक्ष के लोग तमंचा लेकर फरार हो गए। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। प्रभारी निरीक्षक जहानाबाद ने बताया कि आरोपी जबर शाह और इरशाद को गिरफ्तार कर लिया गया है। अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है।

142 वाहनों का किया चालान

पीलीभीत। सड़क सुरक्षा की दृष्टि से यातायात पुलिस ने अभियान चला कर चेकिंग की। कुल 142 चालान कर 1.86 लाख जुर्माना वसूला गया। इसमें 46 ओवर स्पीड, पांच ड्रंक एंड ड्राइव के चालान और 50 डग्गामार व वाहनों पर एक्शन किया गया।

जनपद शाहजहाँपुर

अमर उजाला पेज नं0- 06

पांच साल से फरार हिस्ट्रीशीटर को पश्चिम बंगाल में ससुराल से पुलिस ने गिरफ्तार किया

पत्नी के मोबाइल से मिली लोकेशन के आधार पर पहुंची पुलिस

शाहजहांपुर। आरसी मिशन थाना पुलिस टीम ने हत्या के मुकदमे में फरार चल रहे गुवारी गांव निवासी हिस्ट्रीशीटर ओमकार उर्फ झब्बू को उसकी ससुराल पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार कर लिया। पत्नी के मोबाइल की लोकेशन से पुलिस को उसका पता चला। पुलिस के अनुसार, वर्ष 2006 में हिस्ट्रीशीटर के खिलाफ रोजा थाने में हत्या की रिपोर्ट दर्ज की गई थी। पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश करने के बाद न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया था।

ओमकार उर्फ झब्बू।

कोरोना काल में वर्ष 2021 में उसे रिहा कर दिया गया। इसके बाद हिस्ट्रीशीटर की रिहाई को निरस्त कर दोबारा जेल भेजने के आदेश जारी किए गए थे। बताया जा रहा है कि रिहा होने के बाद हिस्ट्रीशीटर अपनी ससुराल पश्चिम बंगाल में जाकर छिप गया। उसने अपना मोबाइल बंद कर लिया। पुलिस उसकी तलाश कर रही थी।

पुलिस को हिस्ट्रीशीटर की पत्नी के मोबाइल नंबर की लोकेशन मिली। इंस्पेक्टर धर्मेंद्र कुमार ने अधिकारियों के निर्देश पर पुलिस टीम को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के बेहरामपुर थाना क्षेत्र के बेहरामपुर गांव भेजा। टीम ने ओमकार को उसकी ससुराल से गिरफ्तार कर लिया।

स्थानीय न्यायालय के समक्ष तीन दिन के ट्रांजिट रिमांड के लिए प्रस्तुत किया। इसके बाद हिस्ट्रीशीटर को दून एक्सप्रेस से यहां लाकर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। संवाद

अमर उजाला पेज नं0- 02

दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष का कठोर कारावास

संवाद न्यूज एजेंसी

अदालत से

अदालत ने 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया

शाहजहांपुर। नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को अदालत ने 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

पीड़िता के पिता ने कलान थाने में तहरीर देकर बताया था कि 17 फरवरी 2021 को बेहटी गांव के रहने वाले नरेश का बड़ा बेटा उन्हें बुलाकर ले गया था। तभी नरेश के बेटे अमर सिंह और नरेश उनकी 14 वर्षीय बेटी को बहला-फुसलाकर ले गए। जब वह घर आया तो उसे मामले की जानकारी हुई।

पुलिस ने तहरीर के अनुसार अमर सिंह और नरेश के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली। पुलिस ने अमर सिंह के खिलाफ पॉक्सो एक्ट, दुष्कर्म आदि धाराओं में आरोपपत्र अदालत भेजा। अदालत में मुकदमा चलने के दौरान गवाहों के बयानात और साक्ष्यों के आधार पर विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कृष्णलीला यादव ने दोषी अमर सिंह को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई।

अमर उजाला पेज नं0- 03

बाइक चोरी में नामजद आरोपी गिरफ्तार

भावलखेड़ा। पुत्तू लाल चौराहा से शनिवार को तारीन गाड़ीपुरा निवासी अभिषेक यादव की बाइक चोरी होने के मामले में नामजद कराए गए नई बस्ती निवासी भइया लाल को पुलिस ने सोमवार की रात गिरफ्तार कर लिया। यह घटना चौराहे पर लगे सीसी कैमरे में कैद हो गई थी। अपराध निरीक्षक अमित कुमार ने बताया कि आरोपी के कब्जे से चोरी की गई बाइक बरामद होने पर उसका चालान कर न्यायालय में पेश किया गया। वहां से आरोपी को जेल भेज दिया गया। संवाद

अमर उजाला पेज नं0- 03

रमेश को गोली मारने का दूसरा आरोपी भी किया गया गिरफ्तार

मीरानपुर कटरा। सुल्तानपुर गांव निवासी रमेश कुमार को गोली मारने के दूसरे आरोपी ग्राम रमापुर दक्षिणी निवासी फूलबाबू को तमंचे के साथ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।

थाना प्रभारी निरीक्षक अवधेश कुमार सिंह सेंगर के अनुसार, 13 मई की रात करीब 10 बजे रमेश कुमार मीरानपुर कटरा से अपने घर जा रहे थे। लखनऊ-दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग किनारे स्थित लाल पेट्रोल पंप के पीछे गांव के संपर्क मार्ग पर रमेश कुमार को दो लोग गोली मारकर भाग गए। प्राथमिक उपचार के बाद रमेश कुमार को राजकीय मेड़िकल कालेज से लखनऊ रेफर कर दिया गया।

गोली से घायल रमेश के भाई वेदराम ने तिलहर थाना क्षेत्र के ग्राम धनकपुर निवासी सूबेदार एवं उसके अज्ञात साथी के खिलाफ जानलेवा हमले की रिपोर्ट लिखकर जांच की। तिलहर के गांव धनकपुर निवासी सूबेदार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। पूछताछ में सूबेदार ने बताया था कि रमेश उनकी पत्नी को परेशान करता था। साले फूलबाबू ने यह बात बताई थी। इसके बाद साले के साथ रास्ते में मिले रमेश को गोली मार दी। संवाद

अमर उजाला पेज नं0- 05

विशेष अभियान के तहत 1803 वाहनों के चालान, दो किए सीज

सोमवार रात 10 से 11 बजे तक पुलिस ने चलाया अभियान

संवाद न्यूज एजेंसी

शाहजहांपुर। सोमवार की रात दस बजे से 11 बजे तक चले अभियान में यातायात नियमों को तोड़ने वालों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की। शराब पीकर गाड़ी चलाने, मॉडिफाइड साइलेंसर, प्रेशर हॉर्न एवं हूटर का इस्तेमाल करने पर 1803 वाहनों का चालान करने के साथ दो वाहनों को सीज किया गया।

पुलिस टीम ने चेकिंग के दौरान नशे की हालत में वाहन चलाते पाए गए वाहन चालकों तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई की। 37 चालान शराब पीकर गाड़ी चलाने, 27 चालान मॉडिफाइड साइलेंसर, 114 चालान प्रेशर हॉर्न एवं हूटर, 160 चालान तेज गति से वाहन चलाने तथा 676 चालान बिना हेलमेट के बाइक चला रहे लोगों के किए गए। इसके अलावा भी कई चालान हुए।

साथ ही एक प्राइवेट बस को सीज किया गया। शराब पीकर चलाने पर ट्रक को सीज किया गया।

दो बसों समेत आठ वाहन सीज : एआरटीओ प्रवर्तन हरिओम ने यातायात पुलिस के साथ अभियान चलाकर 25 बसों की जांच की। इसमें दो बसों के चालान करते हुए दो को सीज किया गया। बसों की सवारियों को दूसरी रोडवेज बसों के जरिये रवाना किया गया। एआरटीओ ने बताया कि दो डंपर, चार ऑटो भी सीज कर थानों में खड़े कराए गए। 12 वाहनों का चालान किया गया।

108 लोगों से 54 हजार का राजस्व वसूला

शाहजहांपुर। बिना टिकट यात्रा करने वालों के खिलाफ मंगलवार को रेलवे स्टेशन पर चेकिंग अभियान चलाया गया। इसमें 108 लोगों से 54150 रुपये का राजस्व वसूला गया। सीनियर डीसीएम महेश यादव के निर्देश पर चेकिंग में हरदोई, बालामऊ व स्थानीय चेकिंग स्टाफ ने अप और डाउन लाइन की ट्रेनों की जांच की। इस बीच ट्रेन से उतरे यात्रियों के टिकट भी चेक किए गए। सीएमआई एसके ठाकुर ने बताया कि अप और डाउन लाइन की 20 ट्रेनों की चेकिंग की गई। 108 केसों में 54150 रुपये का राजस्व वसूला गया। संवाद

अमर उजाला पेज नं0- 05

अवैध शराब की बिक्री करते आरोपी गिरफ्तार

सेहरामऊ दक्षिणी। गश्त पर निकली पुलिस टीम ने सोमवार को देर शाम ददऊ गांव के मुकेंद्र को गांव के पास स्थित नहर की पुलिया पर अवैध शराब की बिक्री करते हुए गिरफ्तार कर लिया। थाना प्रभारी उमेश चंद्र मिश्रा ने बताया कि आरोपी का आबकारी अधिनियम में चालान करके उसे न्यायालय में पेश किया गया। संवाद

अमर उजाला पेज नं0- 05

आरोपी को दबोचा

कांट। पुलिस ने मंगलवार सुबह बरुआ बुजुर्ग गांव स्थित शीतला माता मंदिर पास घेराबंदी कर अभायन गांव निवासी सर्वेश को गिरफ्तार किया। प्रभारी निरीक्षक विजय प्रताप सिंह ने बताया कि 13 मई को अभायन गांव निवासी कमल किशोर ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया था कि पानी खोलने से मना करने पर विपक्षियों ने उनपर जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया था। संवाद

किशोरी के अपहरण के आरोपी को पकड़ा

कांट। पुलिस ने किशोरी के अपहरण के आरोपी गांव जमौर निवासी बबलू को गिरफ्तार कर लिया। प्रभारी निरीक्षक विजय प्रताप सिंह ने बताया कि 13 मई को एक गांव के व्यक्ति ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया था कि उनकी नाबालिग बेटी का बबलू अपहरण कर ले गया है। पॉक्सो एक्ट की बढ़ोतरी के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। संवाद

कांट में डंपर को किया सीज

कांट। उप संभागीय परिवहन अधिकारी ने सोमवार को देर रात जलालाबाद की तरफ से रेत खनन करके लेजाए जा रहे एक डंपर को सीज कर पुलिस की सुपुर्दगी में दे दिया। जानकारी पाकर मौके पर खनन अधिकारी भी पहुंच गए। पुलिस ने रेत से भरा डंपर थाने में खड़ा करा लिया है। प्रभारी निरीक्षक विजय प्रताप सिंह का कहना है कि अवैध खनन रोकने के लिए खनन अधिकारियों से बात हुई है। संवाद

चोरी की बाइक के साथ आरोपी को पकड़ा

शाहजहांपुर। आरसी मिशन थाना पुलिस टीम ने मंगलवार की सुबह मुखबिर की सूचना पर एक मैरिज लॉन के पास घेराबंदी की। मोहल्ला नई बस्ती हनुमत धाम निवासी भइयालाल को गिरफ्तार किया। उनके पास से चोरी की बाइक बरामद की गई है। इंस्पेक्टर धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि मोहल्ला तारीन गाड़ीपुरा निवासी अभिषेक यादव ने भइयालाल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया था कि उनकी बाइक पुत्तूलाल चौराहा से चोरी हो गई थी। संवाद

हिन्दुस्तान पेज नं0- 05

शाहजहांपुर रेलवे स्टेशन पर चेकिंग करते टीटीई।

मजिस्ट्रेट ने पकड़े 108 रेल यात्री

शाहजहांपुर। रेलवे स्टेशन पर मंगलवार को मजिस्ट्रेट चेकिंग अभियान चलाया गया। सुबह से शाम तक चले अभियान में बिना टिकट और अनाधिकृत रूप से यात्रा करने वाले 108 यात्री पकड़े गए। रेलवे अधिकारियों ने सभी यात्रियों से कुल 54 हजार 150 रुपये का जुर्माना वसूला। सीआईटी टीना, टीटीई जितेंद्र कुमार, आरपीएफ कांस्टेबल पूजा समेत कई रेलवे कर्मचारी मौजूद रहे।

जानलेवा फायरिंग मामले में आरोपी गिरफ्तार

कांट। थाना कांट पुलिस ने जानलेवा फायरिंग के मामले में वांछित आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी सर्वेश पुत्र राम सिंह निवासी ग्राम अभायन को वरूआ बुजुर्ग रास्ते पर स्थित शीतला माता मंदिर के पास से पकड़ा। पुलिस के अनुसार 13 मई 2026 को ग्राम अभायन निवासी कमल किशोर ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि पानी खोलने से मना करने पर विपक्षियों ने जान से मारने की नीयत से फायरिंग की थी।

पश्चिम बंगाल से हत्या के प्रयास का आरोपी दबोचा

शाहजहांपुर। थाना रामचंद्र मिशन पुलिस ने लंबे समय से फरार चल रहे हिस्ट्रीशीटर और वारंटी आरोपी को पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किया है। आरोपी हत्या, हत्या के प्रयास और लूट समेत गंभीर धाराओं में वांछित चल रहा था। पुलिस के अनुसार ग्राम गुवांरी निवासी ओमकार उर्फ झब्बू पुत्र सेवाराम काफी समय से फरार था। उसके खिलाफ थाना रोजा में वर्ष 2006 में हत्या, हत्या के प्रयास और लूट का मुकदमा दर्ज था।

दो आरोपियों को तमंचे और कारतूस समेत पकड़ा

कांट। थाना कांट पुलिस ने अवैध शस्त्रों के खिलाफ अभियान चलाकर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों के कब्जे से दो अवैध तमंचे और दो जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। पुलिस के अनुसार 18 मई की रात ग्राम सिसोरी जाने वाले रास्ते से कुटरा निवासी शिवराम को गिरफ्तार किया गया। उसके पास से 315 बोर का तमंचा और कारतूस मिला। वहीं 19 मई को रावतपुर नखासा बाजार से सेमथुरापुर मार्ग पर मरहैय्या निवासी सलीम को पकड़ा गया।

हिन्दुस्तान पेज नं0- 05

नाबालिग को ले जाने का आरोपी गिरफ्तार

कांट। थाना कांट पुलिस ने नाबालिग बालिका को बहला-फुसलाकर ले जाने के मामले में वांछित आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी को ग्राम ददरौल मोड़ के पास से पकड़ा। पुलिस के अनुसार 13 मई 2026 को पीड़िता के परिजनों ने थाना कांट में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

हिन्दुस्तान पेज नं0- 05

चोरी की मोटरसाइकिल समेत आरोपी गिरफ्तार

कार्रवाई

शाहजहांपुर, संवाददाता। थाना रामचंद्र मिशन पुलिस ने चोरी की मोटरसाइकिल समेत एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी को मैरिज लॉन के पास सड़क से पकड़कर उसके कब्जे से चोरी की बाइक बरामद की।

पुलिस के अनुसार मोहल्ला तारीन गाड़ीपुरा निवासी अभिषेक यादव ने बाइक चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। तहरीर में बताया गया था कि पुत्तूलाल चौराहे से उनकी मोटरसाइकिल यूपी-27 बीएम-1853 चोरी हो गई थी।

मामले में मुकदमा दर्ज कर पुलिस जांच कर रही थी। विवेचना के दौरान पुलिस ने नई बस्ती हनुमत धाम निवासी भैय्यालाल पुत्र हीरालाल को गिरफ्तार कर लिया। उसके कब्जे से चोरी की मोटरसाइकिल बरामद होने पर मुकदमे में संबंधित धाराएं बढ़ाई गईं।

हिन्दुस्तान पेज नं0- 07

हत्या के प्रयास का आरोपी पकड़ा

कटरा। थाना कटरा पुलिस ने हत्या के प्रयास के मामले में वांछित आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त अवैध तमंचा और कारतूस बरामद किया है। पुलिस के अनुसार 13 मई को बिल्लीगंज निवासी वेदराम ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि पुरानी रंजिश में आरोपियों ने उसके भाई रमेश को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। मामले में थाना कटरा पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई थी। आरोपी फूलबाबू नगला पृथ्वी उर्फ नगरिया मोड़ के पास से गिरफ्तार किया।

दैनिक जागरण पेज नं0- 05

वारंटी हिस्ट्रीशीटर बंगाल से गिरफ्तार, भेजा जाएगा जेल

जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर : वारंटी हिस्ट्रीशीटर रामचंद्र मिशन के गुवांरी गांव निवासी ओमकार उर्फ झब्बू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।

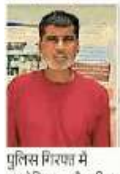

पुलिस गिरफ्त में आरोपित • सौ. पुलिस

ओमकार वर्ष 2006 में रोजा क्षेत्र में हुई एक हत्या के मामले में नामजद था। उसे न्यायालय से सजा हुई थी। वर्ष 2021 में अच्छे आचरण वाले बंदियों को रिहा कर दिया गया था। जिसमें ओमकार भी शामिल था। जेल से रिहा होने के बाद ओमकार अपने घर रहने के बजाए पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के बेहरामपुर क्षेत्र के बिहारीपारा अपनी ससुराल में जाकर रहने लगा था। राज्यपाल ने वर्ष 2024 में जब रिहा किए गए बंदियों की पत्रावली की जांच की तो ओमकार की रिहाई को निरस्त कर दिया गया था। उसे जेल भेजने के निर्देश दिए गए थे। तब से उसके विरुद्ध कई वारंट जारी हो चुके लेकिन वह न्यायालय में हाजिर नहीं हो रहा था। अब उसे पश्चिम बंगाल ससुराल से गिरफ्तार कर लिया गया। प्रभारी निरीक्षक धर्मेंद्र गुप्ता ने बताया कि न्यायालय में पेश किया जाएगा जहां से आगे निर्णय लिया जाएगा।

हत्या के मामले में हुई थी सजा, वर्ष 2024 से न्यायालय में नहीं हो रहा था हाजिर

दैनिक जागरण पेज नं0- 08

नशे में वाहन दौड़ाते पकड़े गए 37 चालक, 1,803 के किए चालान

- एसपी ने पूरे जिले में चलवाया विशेष चेकिंग अभियान, हादसों पर अंकुश लगाने को किए जा रहे प्रयास
- कांट में 17 मई को डंपर की टक्कर से टैंपो सवार दंपती समेत चार लोगों की हो गई थी मौत

जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर : हादसों पर अंकुश लगाने के लिए एसपी सौरभ दीक्षित ने पूरे जिले में रात में विशेष चेकिंग अभियान चलवाया।

37 वाहन चालक नशे में मिले। जिनका चालान किया गया। एक ट्रक को सीज भी कर दिया गया। इसी तरह अन्य नियमों की अनदेखी पर कुल 1803 वाहनों के चालान किए गए। कांट में 17 मई को चार सीटर टैंपो पर बालक समेत सात सवारी बैठी थीं। डंपर की टक्कर से दंपती समेत चार लोगों की मृत्यु हो गई थी। इसी तरह आये दिन हो रहे हादसों में कभी ओवरलोडिंग तो कभी तेज रफ्तार और नशे की हालत में वाहन चलाना के मामले सामने आ रहे हैं। जिले में सरकारी आंकड़ों के मुताबिक जनवरी से अब तक 325 हादसे हो चुके हैं, जिनमें 197 लोगों की जान भी चली गई। इसके अलावा 221 लोग घायल हो चुके हैं। ऐसे में एसपी ने सीओ शिवम वर्मा के नेतृत्व में चेकिंग अभियान शुरू कराया गया तो जगह-जगह नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए वाहन चलाते मिले। 27 माडिफाइड साइलेंसर, 114 चालान प्रेशर हार्न/हूटर, 160 चालान तेज गति से वाहन चलाने, 676 चालान बिना हेलमेट सहित 1803 वाहनों के चालान किए।

रात में हाईवे पर वाहन चालकों की चेकिंग करते सीओ शिवम वर्मा ● सौ. पुलिस

एक निजी बस व एक ट्रक को सीज किया गया। 10 मई को भी 54 वाहन चालक शराब के नशे में वाहन चलाते पकड़े गए थे।

दैनिक जागरण पेज नं0- 09

नाबालिग से दुष्कर्म में 20 वर्ष का कारावास

जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर : नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को अपर जिला जज विशेष जज पाक्सो कोर्ट कृष्ण लीला यादव ने दोषी को 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। उन्होंने उस पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। कलान क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने बताया कि 17 फरवरी 2021 को नरेश का बड़ा बेटा मनोज उनको घर से बुलाकर ले गया। उनकी अनुपस्थिति में नरेश सिंह अपने छोटे बेटे अमर सिंह के साथ उनके घर आया और 14 वर्षीय बेटी को बहला फुसलाकर पिता पुत्र अपने साथ ले गए। जब वह घर आए तो बेटी नहीं मिली। छोटी बेटी ने पूरा घटनाक्रम बताया। पुलिस ने पिता पुत्र के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की। लगभग एक माह बाद किशोरी को बरामद किया। विवेचना के बाद अमर सिंह के विरुद्ध आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया। शासकीय अधिवक्ता दीप कुमार गुप्ता ने बताया कि साक्ष्य, गवाहों के बयान के आधार पर अमर सिंह के दोष सिद्ध होने पर अपर जिला जज विशेष जज पाक्सो कोर्ट कृष्ण लीला यादव ने दोषी अमर सिंह को सजा सुनाई।